लय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
ीन अधिकारीः–श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
मा नम्बरः–14 / 2019 प्रार्थना पत्र
आशुतोष पिता गोविन्दराम ब्राहम्ण, उम्र बालिग निवासी बालाजी मंदिर पेच एरिया, भीलवाड़ा
वासुदेव पिता गोविन्दराम ब्राहम्ण, उम्र बालिग निवासी बालाजी मंदिर पेच एरिया, भीलवाडा
ीला पुत्री गोविन्दराम ब्राहम्ण, उम्र बालिग निवासी बालाजी मंदिर, पेच एरिया, भीलवाड़ा
मति मदनबाई पत्नि गोविन्दराम ब्राहम्ण, उम्र बालिग निवासी बालाजी मंदिर पेच एरिया, भीलवाड़ा
हसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

———प्रार्थीगण

बनाम

डालू पिता दयाराम बलाई, उम्र बालिग निवासी तस्वारिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
भैरू पिता देबीलाल गाडरी, उम्र बालिग निवासी तस्वारिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
सुवालाल पिता देबीलाल गाडरी, उम्र बालिग निवासी तस्वारिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
सत्तु पिता रामसुख गाडरी, उम्र बालिग निवासी तस्वारिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
कल्याण पिता केशव गाडरी, उम्र बालिग निवासी तस्वारिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
दरबार मूर्ति जरिये भोपाजी उम्र बालिग निवासी तस्वारिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
स्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

———विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य ::

दिनांकः–27.5.2019

वकील प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू– अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम तस्वारिया हल्का पालड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 327, 328, 329, 330, 32, 333, 368, 370 कुल 9 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है। ण विवादित आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थीगण के खाते व कब्जे काश्त की आराजियात के चेन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने का आदेश फरमावें।

वकील प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 4.1.2019 को पंजीबद्व किया जाकर सम्मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 2, 4, 5, व 7 के सम्मन बाद तामिल ये। जिसे शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षी संख्या 2, 4, 5, व 7 उपस्थित नही। विपक्षीगण , 4, 5, व 7 को कितनी ही मर्तबा विधिवत आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं कारण दिनांक 06.2.2019 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। संख्या 1, 3 व 6 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षी 3 व 6 उपस्थित नही। विपक्षी संख्या 1, 3 व 6 को कितनी ही मर्तबा विधिवत् आवाजे दिलाई उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 24.5.2019 को एक तरफा कार्यवाही किये आदेश दिया जाता हैं।

वकील प्रार्थीगण ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थीगण की एक हस सुनी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि प्रार्थीगण को अपने खाते काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय,

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

काटते समय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थीगण अपने एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 इत स्वीकार किया जाकर ग्राम तस्वारिया पटवार हल्का पालड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा में हाल आराजी नम्बर 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 368, 370 कुल 9 रकबा 7 बीघा 9 भूमि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी जाने के लिये भू–अभिलेख निरीक्षक, सांगानेर को 400/–रूपये (चार सौ रूपये) कमिश्नर फीस मिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये लदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 27.5.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner